भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1914
(03 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत आबंटित धनराशि

1914. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः
श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पाः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को आवंटित/स्वीकृत/जारी की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत धनराशि का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या जारी की गई उक्त धनराशि पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;
(ग) राज्य सरकारों को जारी की जाने वाली धनराशि का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) राज्यों के सभी बकाये को निपटाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) देश के विभिन्न राज्यों में मनरेगा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त कार्य-दिवस प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और आबंटित किए गए कुल अतिरिक्त कार्य-दिवसों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज किया जाना एक सतत और प्रगतिशील प्रक्रिया है और केंद्र सरकार कार्य की मांग को ध्यान में रखते हुए निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय राज्यों को समय-समय पर दो ट्रेंचों में निधियों की रिलीज करता है जिसमें स्वीकृत श्रम बजट(श्रम दिवस), राज्य के पास प्रारंभिक शेष, निधियों के उपयोग की गति, पिछले वर्ष की यदि कोई लंबित देयता हो, समग्र निष्पादन और राज्य द्वारा

अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आधार पर की गई रिलीज की एक या दो किस्तें शामिल होती हैं। मंत्रालय जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए जब और जैसे आवश्यक होता है वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधि की मांग करता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार की गई निधियों की **अनुबंध** में दी गई है।

(ङ.): वर्तमान में अधिनियम में प्रदान किए गए 100 दिनों के गारंटीकृत दिवसों के अलावा अतिरिक्त कार्य दिवस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित क्षेत्रों या प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों 100 दिनों के अलावा 50 अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान किए गए हैं।

*****

लोक सभा में दिनांक 03.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1914 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(रू. लाख में)

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रिलीज की गई केंद्रीय निधियां				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2016-17 ***	**2017-18 #**	**2018-19 $**
1	आंध्र प्रदेश	394021.19	512763.00	671458.36
2	अरुणाचल प्रदेश	15675.99	20679.65	19800.64
3	असम	125459.79	112366.54	105037.23
4	बिहार	166740.56	246888.44	289194.25
5	छत्तीसगढ़	223193.55	289885.21	308997.05
6	गुजरात	64323.81	82505.07	106079.98
7	हरियाणा	28771.33	30140.64	35625.15
8	हिमाचल प्रदेश	38860.83	58684.46	78034.36
9	जम्मू और कश्मीर	80408.52	125417.69	79334.12
10	झारखंड	167914.17	135264.57	154629.50
11	कर्नाटक	225864.88	295632.54	304975.56
12	केरल	158248.96	185406.40	235473.91
13	मध्य प्रदेश	344891.62	376889.92	470364.71
14	महाराष्ट्र	165708.93	185828.74	201918.84
15	मणिपुर	34370.41	15778.89	28698.66
16	मेघालय	86069.23	87060.44	79654.70
17	मिजोरम	14451.26	20081.04	40288.92
18	नागालैंड	50152.80	110492.88	19560.20
19	ओडिशा	189526.84	219834.66	222418.39
20	पंजाब	49073.46	61895.86	60000.32
21	राजस्थान	481816.86	472828.41	549230.58
22	सिक्किम	13262.56	10571.15	9762.58
23	तमिलनाडु	455277.91	583166.13	498193.66
24	तेलंगाना	180684.74	253920.33	297094.62
25	त्रिपुरा	101629.14	40440.50	44462.89
26	उत्तर प्रदेश	391584.94	369177.65	547575.02
27	उत्तराखंड	51435.08	71685.06	61194.75
28	पश्चिम बंगाल	537722.79	592702.95	737344.61
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	801.40	966.07	761.93
30	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	484.00
31	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
32	लक्षद्वीप	0.00	26.71	15.97
33	पुडुचेरी	346.92	1569.03	1475.36
34	गोवा	425.85	56.05	48.83
कुल		**4838716.30**	**5570606.67**	**6259189.67**

**वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सभी एनईएफएमएस राज्य/सं.रा. क्षेत्र के 56268.00 लाख रू. के असफल एफटीओ सहित।*

 # वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अस्वीकृत अंतरण के आधार पर मजदूरी व्यय में से 136890.498 लाख रू. की कटौती की गई राशि सहित जमा कराई गई राशि

$ वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 156046.92 लाख रू. असफल अंतरणों सहित।